



प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनुसचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, उद्योग,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 18 मई, 2020

विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निदेशों के अनुसरण में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु ₹ 60,00,000/- (साठ लाख रुपये मात्र) की धनराशि का आबंटन/स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान एवं आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ०प्र० तथा वित्त विभाग, उ०प्र० शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक- "2852-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेतर-06-न्यायालयों में वादों की पैरवी-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 4/2020/230(1)/77-1-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
- 4- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
- 6- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनुसचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।